



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल: ronagpur@nhai.org वेबसाईट: www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail: ronagpur@nhai.org website: www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-412/NH-353B/Pipeline/2024-25/ 1913

Date: 11.12.2024

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of existing 2-lane stretch from Govindpur MH/TG Border to Rajura (Design km 32.910 to km 89.090) {Design length-56.180km} section of NH-353B in the State of Maharashtra on HAM mode under NH(O) -Submission of a proposal for obtaining the permission of RoW of NHA for laying of 500mm Dia Iron Ore Slurry Pipeline alongwith OFC NH-353B from existing old chainage from km 0.000 to km 1.250 (1.250km)- Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Chandrapur letter no. 1183 dated 04.12.2024.
2. M/s Lloyds Metal & Energy Ltd. letter dated 15.09.2024.

It is to inform all concern that M/s Lloyds Metal & Energy Ltd. under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU Chandrapur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s Lloyds Metal & Energy Ltd. is laying subject stretch is as follows:

- Laying from km 0.000 to km 1.250 total km 1.250.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(Akashi Chouksey)
Manager (Tech.)

Copy to:

- (i) Web Admin., NHA, HQ, New Delhi - for uploading in NHA's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of
Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-412/एनएच-353बी/पाइपलाइन/2024-25/ 1913

दिनांक: 11.12.2024

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच (ओ) के तहत एचएएम मोड पर गोविंदपुर एमएच/टीजी सीमा से राजुरा (डिजाइन किमी 32.910 से किमी 89.090) {डिजाइन लंबाई-56.180 किमी} एनएच-353बी के मौजूदा 2-लेन वाले हिस्से को चार लेन का बनाना - मौजूदा पुरानी चैनएज से किमी 0.000 से किमी 1.250 (1.250 किमी) तक एनएच-353बी पर ओएफसी सहित 500 मिमी व्यास वाली लौह अयस्क स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए एनएचएआई के आरओडब्ल्यू की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना- संबंधित।

संदर्भ:

3. पीडी, पीआईयू चंद्रपुर पत्र क्रमांक 1183 दिनांक 04.12.2024।

4. मेसर्स लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड का पत्र दिनांक 15.09.2024.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड ने संदर्भ (2) के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू चंद्रपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित संरेखण इस प्रकार है:

• किमी 0.000 से किमी 1.250 तक बिछाना कुल किमी 1.250।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपतियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि विषयगत खंड पर उपरोक्त उपयोगिता है। आपतियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपतियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(आकारा चौकसे)

प्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

(iii) वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]

(iv) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075